

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


11.07.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम पेंखी व 'अदम टाजिरी' में इसी स्तर पर रखा जा रहा है।

पत्रावली फैसल शूमार होकर दाखिल दस्त हो व नंबर से कम हो।

  
अधिवक्ता  
(SDO), बाड़मेर



कुल पृष्ठ 4

सेवामें,